न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–70/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/70

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
जालाराम पुत्र गोरधनजी, जाति विश्नोई, निवासी सरनाऊ, तहसील सांचौर		राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार सांचोर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल. आर. एक्ट विरूद्ध आदेश प्रकरण संख्या 3/14 निर्णय दिनांक 07–10–2014 सरकार बनाम जालाराम एवं अपील सं. 46/2014 जालाराम बनाम सरकार मे दिनांक 11.12.2014 जिला कलेक्टर के आदेश बाबत।

उपस्थिति :–
1. श्री पी.आर.गेहलोत, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 30/10/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपील अन्तर्गत धारा 76 एल. आर. एक्ट विरूद्ध आदेश प्रकरण संख्या 3/14 निर्णय दिनांक 07–10–2014 सरकार बनाम जालाराम एवं अपील सं. 46/2014 जालाराम बनाम सरकार मे दिनांक 11.12.2014 जिला कलेक्टर के आदेश व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया। बावजूद तामील के अनुपस्थित।

3. बहस वकील अपीलाण्ट सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

दिनांक 01.10.2014 को तहसीलदारजी द्वारा गैर सायल को नोटिस भेजा था उसमे तारीख पेशी 7–10–2014 बताई है उसके पुत्र कमलेश से तामील करवाई है। कमलेश गैर सायल का गोदपुत्र है जिसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका श्रीमान् के समक्ष पेश है जिसमे कमलेश के पिता का नाम ओमप्रकाश है। गैर सायल के कोई पुत्र नहीं है कमलेश को गोद लिया हुआ है गैर सायल का गोदपुत्र है। जो नाबालिग

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

है जिसकी जन्म दिनांक 5–5–1999 है। गैर सायल घर पर नही था उसकी पत्नी व बच्चे घर पर थे तो तामील कुनिन्दा को नोटिस उसके पत्नी से तामील करवाना था परन्तु एक नाबालिग पुत्र से तामील करवाया गया है जो नोटिस तामील की परिभाषा में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी करते हुये उक्त निर्णय पारित किया गया है। जिला कलेक्टर महोदय ने पत्रावली पर कोई गौर नही किया है नाबालिग की तामील मानकर गलत फैसला किया गया है।

हल्का पटवारी सरनाऊ ने रिपोर्ट पेशकर निवेदन किया कि ग्राम सरनाऊ के खसरा नबंर 362 रकबा 0.06 हेक्टर किस्म गै.मु लाटा पर संवत 2070 मे गैर सायल जालाराम पुत्र गोरधन ने अतिक्रमण कर रखा है जिससे उसके विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही करके बेदखल किया जावे। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार, सांचौर द्वारा धारा 91 की कार्यवाही का प्रकरण दर्ज किया गया। पटवारी ने प्रकरण के साथ पटवारी रिपोर्ट जो दि. 13–3–2014 को जारी हुई है उक्त रिपोर्ट दिनांक 8–3–2014 को पेश की थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, सांचौर ने गैर सायल को नोटिस भेजे गये, नोटिस भेजने के उपरान्त गैर सायल हाजिर न होने के कारण दिनांक 28–3–2014 को निर्णय पारित कर गैर सायल के विरुद्ध बेदखली का आदेश एवं 50 रूपये जुर्माना आरोपित किया है।

श्रीमान् जिला कलेक्टर ने पत्रावली रिमाण्ड कर साक्ष्य सबूत लिया जाकर सही निर्णय करने का आदेश तहसीलदारजी को दिया था परन्तु तहसीलदार ने जिस भावना से गैर सायल की तामील न होते हुये जल्दबाजी में नाबालिग की तामील करवाकर फैसला किया है इससे पूर्व अपीलार्थी के घर पर नोटिस चस्पा बताया है। सांवलाराम देवासी व धनाराम रेबारी दो मौतबिरो के हस्ताक्षर बताये गये है उक्त आदमी ग्राम सरनाऊ में निवास नहीं करते है। चस्पादगी रिपोर्ट से पूर्व घर खुला था या नही इसके बारे में नोटिस में कोई जिक्र नहीं किया है। गैर सायल का उक्त भूमि पर सन् 1993 से कब्जा है ऐसी सूरत मे उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवयक था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी कर उक्त निर्णय पारित किया है जिससे किये गये आदेश निरस्त योग्य है।

खसरा परिवर्तनशील संवत 2050 एवं संवत 2052 जो श्रीमान् जिला कलेक्टर के पत्रावली मे पेश की थी अधिनस्थ न्यायालय को विधिवत तामील करवाकर साक्ष्य सबूत व जवाब दिया जाना आवश्यक था परन्तु रिमाण्ड करने के बावजूद न्यायालय द्वारा पत्रावली पर गौर न कर सुनवाई का अवसर न देने के कारण किये गये आदेश निरस्त योग्य है, ऐसे आदेश प्रभावहीन एवं शून्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार, सांचौर का निर्णय दिनांक 7–10–2014 एवं जिला कलेक्टर का निर्णय 11–12–2014 का को निरस्त फरमाकर पत्रावली रिमाण्ड कर साक्ष्य सबूत का अवसर दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. हमने उपस्थित पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालयो की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पाया गयाकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को ध्यान पूर्वक सुना गया नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज करने के पश्चात संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का

30/10/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अवसर नही दिया गया है। न ही अपीलाण्ट को सी पी सी के विधिक प्रावधानो के अनुसार सुना गया है। आलौच्य भूमि की किस्म गै.मु. लाटा है, जिस पर अतिक्रमण की प्रकृति भी धारा 91आर.एल.आर.एक्ट 1956 में कार्यवाही से पूर्व देखी जानी आवश्यक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रकरण संख्या 3/14 निर्णय दिनांक 07–10–2014 सरकार बनाम जालाराम एवं न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के अपील सं. 46/2014 जालाराम बनाम सरकार मे निर्णय दिनांक 11.12.2014 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार, सांचौर को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ पुनः प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलाण्ट को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने एवं परीक्षण करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30.10.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

30.10.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)